

**LEGISLATIVE ASSEMBLY**  
**NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

**Bulletin Part-I**

**(Brief summary of proceedings)**

**Tuesday, 17 January 2023 / 27 Paush 1944 (Shaka)**

**No. 33**

**11.09 AM**

**Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

*National Anthem – Jan-Gan-Man*

**1. 11.11 AM Special Mention (Rule-280):**

The following Hon'ble Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Shri Bhupinder Singh Joon | 10. Shri Naresh Yadav  |
| 2. Shri Anil Kumar Bajpai    | 11. Shri Rajendra Pal Gautam                                   |
| 3. Shri Ajay Mahawar         | 12. Shri Surender Kumar  |
| 4. Shri Rituraj Govind       | 13. Shri Ramvir Singh Bidhuri,<br>Hon'ble Leader of Opposition |
| 5. Shri Vijender Gupta       | 14. Shri Akhilesh Pati Tripathi                                |
| 6. Shri Abhay Verma          | 15. Shri Somnath Bharti  |
| 7. Shri Om Prakash Sharma    | 16. Smt. Preeti Jitender Tomar                                 |
| 8. Shri Rajesh Gupta         |  |
| 9. Shri Mohan Singh Bisht    |  |

**2. 12.04 PM Calling Attention (Rule-54):**

**Smt. Atishi, Hon'ble Member** called the attention of the **Hon'ble Deputy Chief Minister** on "*Illegal and unwanted obstructions and interferences in the education of children and training of Teachers*".

The Members of Opposition Party started arguing with the Chair, entered the well of the House and disrupted proceedings of the House by demanding discussion on corruption in Government.

The Chair repeatedly requested the Hon'ble Members of Opposition to resume their seats but they refused to comply with the request of the Chair and continued to disrupt the proceedings of the House.

The Chair then named Shri Anil Kumar Bajpai, Shri Abhay Verma, Shri Om Prakash Sharma, Shri Jitender Mahajan, Shri Ajay Kumar Mahawar and Shri Mohan Singh Bisht. As the Members refused to leave the House voluntarily, they were escorted out of the House by the Marshalls on the directions of the Chair.

Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition alongwith Shri Vijender Gupta walked out in protest.

**3. 12.09 PM Calling Attention (Rule-54) continued :**

**Smt. Atishi, Hon'ble Member** resumed with her statement.

The following Members also expressed their views :

1. Shri Saurabha Bharadwaj

Also moved the following Resolution with the permission of the House :

This House strongly condemns the move of the Lieutenant Governor to prevent the Teachers of Government schools of Delhi from being sent to Finland for training. The people of Delhi have elected a popular Government under the leadership of Chief Minister Sh. Arvind Kejriwal to work on education, health, electricity, water etc. If the Government elected by the full majority of the people of Delhi wants to provide world-class training to the Teachers of the Government schools of Delhi, and for this the budget has also been passed in this Assembly, then in such a situation, the Lieutenant Governor has no right under the Constitution that he should not allow Government school Teachers to go to Finland for training.

Education is a transferred subject to the Delhi Legislative Assembly in the country's Constitution. In the context of Delhi, only three subjects – police, public order and land – have been reserved in the Constitution for decision-making by the Union Government. The Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court has also ruled that the elected Government of Delhi has the right to take decisions on the rest of the subjects except the above three reserved subjects related to Delhi. The Constitution Bench of Hon'ble Supreme Court in its judgment (dated 04 July 2018, para 284 (point number 17)), has clearly stated that :

*“There is no independent authority vested in Lieutenant Governor to take decisions save and except on matters where he exercises his discretion as a judicial or quasi-judicial authority under any law or has been entrusted with powers by the President under Article 239 on matters which lie outside the competence of the Government of NCT.”*

In its order dated 04 July 2018, para 475 (point number 20), the Constitution Bench has further stated that :

*“The meaning of ‘aid and advise’ employed in Article 239AA(4) has to be construed to mean that the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is bound by the aid and advise of the Council of Ministers and this position holds true so long as the Lieutenant Governor does not exercise his power under the proviso to clause (4) of Article 239AA. The Lieutenant Governor has not been entrusted with any independent decision-making power. He has to either act on the ‘aid and advise’ of Council of Ministers or he is bound to implement the decision.”*

It is clear from the Constitution of provisions and the decision given by the Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court in this regard that the right to make decision pertaining to the education of the children of Delhi rests with the elected Government of Delhi. The Lieutenant Governor has not been provided any power in the Constitution to take a decision in this regard. Despite this, the move by the Lieutenant Governor to stop the Teachers from going to Finland is not only unconstitutional but also a violation of the order of the Hon'ble Supreme Court. It is unfortunate that the Hon'ble Lt. Governor violated the order of the Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court and has not followed the Constitution.

This House agrees with the proposal of the Delhi Government that if we want to provide world class education to our children studying in schools, then for this we have to ensure that our Teachers also get world class training. Today, the education system of Finland is considered the best in the whole world. Countries around the world are taking inspiration from education reforms done in Finland to improve the quality of Government schools.

This House supports the move of the Delhi Government to send Teachers of Delhi Government schools to Finland for training. At the same time, this House requests the Lieutenant Governor to refrain from violating the orders given by the Constitutional Bench of the Hon'ble Supreme Court in future and work in accordance with the provision of the Constitution and not interfere in the subjects that come under the jurisdiction of the elected Government of Delhi.

1. Shri Kuldeep Kumar
2. Shri Rajendra Pal Gautam
3. Shri Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip

**Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister** replied.  
The Resolution was put to vote and adopted by voice vote.

4. 01.21 PM **The Chair adjourned the House upto 2.15 PM.**
5. 02.29 PM **House reassembled.**

**Hon'ble Speaker in-Chair.**

6. 02.29 PM The Chair invited Hon'ble Members to attend the function being held in the evening at the lawns in assembly premises to celebrate the festivals of Makar Sakranti, Pongal, Bihu and Lohri.
7. 02.30 PM **Papers laid on the Table:**  
**Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** laid copies of the following on the Table of the House:
1. 7<sup>th</sup> Annual Report of Delhi Technological University for the year 2020-2021 (1/08/2020 to 31/07/2021) (English).
  2. CAG Audit Report on Annual Accounts of the Netaji Subhas University of Technology for the year 2009-10 to 2017-18 alongwith Action Taken Report (Hindi & English).
  3. 19<sup>th</sup> Annual Report of Indraprastha Power Generation Company Limited for the Financial Year 2019 -20 (Hindi & English Version).
  4. 19<sup>th</sup> Annual Report of Pragati Power Corporation Limited for the Financial Year 2019 -20 (Hindi & English Version).
  5. Annual Report of Delhi Transco Limited for the Financial Year 2019-20 (Hindi & English Version).
8. 02.31 PM **Introduction of Bill :**  
**Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** introduced '**The Delhi Goods & Services Tax (Amendment) Bill, 2023**' (Bill No. 01 of 2023) with the leave of the House and also made a brief statement.
9. 02.32 PM **Calling Attention (Rule-54):**  
**Shri Sahi Ram, Hon'ble Member** called the attention of the **Hon'ble Deputy Chief Minister** on "*Demolition notices received by residents of Tughlakabad Village.*" and made a brief statement.
10. 02.43 PM **Short Duration Discussion:**  
**Shri Rajesh Gupta** initiated discussion on "*difficulties faced by poor people especially women on demolition of 04 big toilet blocks built by the Delhi Govt. in Wazirpur, Delhi*".  
The following Members also participated in the discussion:
1. Shri Naresh Yadav
  2. Shri Ajay Dutt
  3. Shri Rohit Kumar
  4. Shri Akhilesh Pati Tripathi
  5. Shri Bhupinder Singh Joon
  6. Shri Shiv Charan Goel
  7. Smt. Atishi
- Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development** replied to the discussion.
11. 03.49 PM **The Chair adjourned the House upto 11.00 AM on Wednesday, 18 January 2023.**

**Delhi**  
**17 January, 2023**

**Raj Kumar**  
**Secretary**

**विधान सभा**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**  
**समाचार भाग-1**

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

मंगलवार, 17 जनवरी, 2023/पौष 27, 1944 (शक)

संख्या-33

11.09 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

राष्ट्र गान : जन-गण-मन

1. 11.11 बजे

**विशेष उल्लेख (नियम-280) :**

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :-

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. श्री भूपेंद्र सिंह जून  | 9. श्री मोहन सिंह बिष्ट                             |
| 2. श्री अनिल कुमार बाजपेयी | 10. श्री नरेश यादव                                  |
| 3. श्री अजय महावर          | 11. श्री राजेंद्र पाल गौतम                          |
| 4. श्री ऋतुराज गोविंद      | 12. श्री सुरेंद्र कुमार                             |
| 5. श्री विजेंद्र गुप्ता    | 13. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष |
| 6. श्री अभय वर्मा          | 14. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी                         |
| 7. श्री ओमप्रकाश शर्मा     | 15. श्री सोमनाथ भारती                               |
| 8. श्री राजेश गुप्ता       | 16. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर                    |

2. 12.04 बजे

**ध्यानाकर्षण (नियम-54):**

श्रीमती अतिथी, माननीय सदस्य ने "बच्चों की शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण में हो रहे अवैधानिक तथा अवांछित अवरोधों और दखलंदाजी" के संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क-वितर्क करना प्रारम्भ कर दिया और सदन के वैल में आ गये तथा सरकार में भ्रष्टाचार पर चर्चा करने की मांग करते हुए सदन की कार्यवाही को बाधित करने लगे।

अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आसन ग्रहण करने का लगातार अनुरोध किया लेकिन उन्होंने अध्यक्ष महोदय के अनुरोध की अनुपालना करने से मना कर दिया तथा सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालते रहे।

तब अध्यक्ष महोदय ने श्री अनिल कुमार बाजपेयी, श्री अभय वर्मा, श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री जितेंद्र महाजन, श्री अजय कुमार महावर तथा श्री मोहन सिंह बिष्ट को इंगित किया। चूंकि सदस्यों ने अपने आप सदन से बाहर जाने से मना कर दिया, उन्हें अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मार्शलों द्वारा सदन से बाहर ले जाया गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने श्री विजेंद्र गुप्ता सहित विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया।

3. 12.09 बजे

**ध्यानाकर्षण (नियम-54) जारी:**

श्रीमती अतिथी, माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य पुनः आरम्भ किया। निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये :

1. श्री सौरभ भारद्वाज

उन्होंने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प भी प्रस्तुत किया :

"यह सदन उप राज्यपाल महोदय द्वारा, दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने से रोके जाने के, उनके कदम की कड़ी निंदा करता है। दिल्ली के लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि विषयों पर काम करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार चुनी है। अगर दिल्ली के लोगों की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को विश्वस्तरीय ट्रेनिंग दिलाना चाहती है, और इसके लिए इस विधानसभा में बजट भी पास किया हुआ है, तो ऐसे में उप राज्यपाल महोदय के पास संविधान के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता कि वह सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड ना जाने दें।

देश के संविधान में शिक्षा, दिल्ली विधानसभा को हस्तांतरित एक विषय है। संविधान में दिल्ली के संदर्भ में केवल तीन विषय—पुलिस, पब्लिक ऑर्डर तथा जमीन, संघीय सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए रिजर्व रखे गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने भी यह व्यवस्था दी है कि दिल्ली के संबंध में उपरोक्त 3 रिजर्व विषयों को छोड़कर शेष विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने 04 जुलाई 2018 के आदेश में पैरा 284 (बिन्दु संख्या 17) में लिखा है कि :-

*"निर्णय लेने के लिए उपराज्यपाल में निहित कोई स्वतंत्र प्राधिकरण नहीं है और उन मामलों को छोड़कर जहां वह किसी भी कानून के तहत न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं या उन्हें अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्तियां सौंपी गई हैं, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की क्षमता से बाहर हैं।"*

संविधान पीठ ने 04 जुलाई 2018 के अपने आदेश में पैरा 475 (बिन्दु संख्या 20) में यह भी लिखा है कि :-

*"अनुच्छेद 239 एए (4) में नियोजित 'सहायता और सलाह' का अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि दिल्ली के उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं और यह स्थिति तब तक सही है, जब तक उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 एए के खंड 4 के परंतुक के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। उपराज्यपाल को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं सौंपी गई है। उन्हें या तो मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' पर कार्य करना होगा या वह निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य होंगे।"*

संविधान में दी गई व्यवस्था और माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय से स्पष्ट है कि दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। उप राज्यपाल महोदय के पास इस संबंध में निर्णय लेने के लिए संविधान में कोई शक्ति नहीं दी गई। इसके बावजूद उपराज्यपाल महोदय द्वारा शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने का कदम ना सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन है। माननीय उप राज्यपाल महोदय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के आदेश का उल्लंघन करना और संविधान को ना मानना दुर्भाग्यपूर्ण है।

यह सदन दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करता है कि अगर हम स्कूलों में पढ़ रहे अपने बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे शिक्षकों को भी विश्वस्तरीय ट्रेनिंग मिले। आज सारी दुनिया में फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दुनिया भर के देश फिनलैंड में किए गए शिक्षा सुधारों से प्रेरणा ले रहे हैं।

यह सदन दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने के दिल्ली सरकार के कदम का समर्थन करता है। साथ ही यह सदन उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करता है कि वह भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए आदेश के उल्लंघन से बचें और संविधान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

2. श्री कुलदीप कुमार

3. श्री राजेंद्र पाल गौतम

4. श्री दिलीप कुमार पांडे, माननीय मुख्य सचेतक

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया।

संकल्प मतेदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

4. 01.21 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित किया।
5. 02.29 बजे सदन पुनः समवेत हुआ।  
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
6. 02.29 बजे अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को मकर संक्रांति, पोंगल, बीहू और लोहड़ी पर्वों को मनाने के लिए विधानसभा परिसर के लॉन में शाम को आयोजित किये जा रहे समारोह में आमंत्रित किया।
7. 02.30 बजे सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात:  
श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीं :
  1. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वर्ष 2020-21 हेतु 7वां वार्षिक प्रतिवेदन (01/08/20 से 31/07/21 तक) (अंग्रेजी प्रति)
  2. नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के वर्ष 2009-10 से 2017-18 हेतु वार्षिक लेखों पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित कृत्य कार्रवाई प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)
  3. इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड का वित्त वर्ष 2019-20 हेतु 19वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)
  4. प्रगति पाँवर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वित्त वर्ष 2019-20 हेतु 19वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)
  5. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का वित्त वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)
8. 02.31 बजे विधेयक का पुरःस्थापन :  
श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने सदन की अनुमति से "दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023" (वर्ष 2023 का विधेयक संख्या-01) को पुरःस्थापित किया।
9. 02.32 बजे ध्यानाकर्षण (नियम-54):  
श्री सही राम, माननीय सदस्य ने "तुगलकाबाद गांव के निवासियों को दिये गये डिमोलिशन नोटिस" के संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया और संक्षिप्त वक्तव्य भी दिया।

10. 02.43 बजे

अल्पकालिक चर्चा (नियम-54):

श्री राजेश गुप्ता, माननीय सदस्य ने "वजीरपुर, दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा बनाये गये चार बड़े टॉयलेट ब्लॉक गिराये जाने से गरीब व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को हो रही कठिनाईयों" पर चर्चा प्रारम्भ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

1. श्री नरेश यादव
2. श्री अजय दत्त
3. श्री रोहित कुमार
4. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
5. श्री भूपेन्द्र सिंह जून
6. श्री शिवचरण गोयल
7. श्रीमती अतिशी

श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

11. 03.49 बजे

अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 जनवरी, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की।

दिल्ली

17 जनवरी, 2023

राज कुमार  
सचिव